रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092024-257089
CG-DL-E-11092024-257089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2024/भाद्र 20, 1946
No. 519]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2024/BHADRA 20, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 561(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** –(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु, यदि केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिको और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।	7* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44,900-1,42,400/-)	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएंप्रोन्नत होने व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति:, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा, और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वह श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु.35400-112400) में कार्यालय अधीक्षक, जिन्होने नियुक्ति के पश्चात् दिए गए ग्रेड में पांच वर्ष तथा नियमित सेवा की हो तथा प्रशासन, स्थापन और लेखा में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। टिप्पणी 1. – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने, ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, प्रतिनियुक्त: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी: (क)(i) जिन्होंने नियमित आधार पर	1. पदोन्नति पर विचार करने हेतु समूह 'ख' विभागीय की पदोन्नति समिति (जिसमें शामिल हैं) - सलाहकार या संयुक्त सचिव (भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण के प्रभारी) - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय- सदस्य; 3. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात् दिए गए वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु.35400-112400) में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव हो.- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; और (ii) किसी सरकारी कार्यालय /पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय में लेखा, प्रशासन, स्थापन में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

[फा. सं. 01/13/2022-सीएसबी]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2024

G.S.R. 561(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Environment and Forest Botanical Survey of India, Junior Administrative Officer, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Administrative Officer in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. Short title and commencement**. –** (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India (Junior Administrative Officer) Recruitment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the UPSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Administrative Officer.	7* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level – 7. (Rs. 44,900-1,42,400/-).	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion, failing which by deputation.	Promotion: Office Superintendent in pay level-6 (Rs. 35400-112400) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto and successfully completed mandatory training of two to four weeks in administration, establishment and accounts. **Note 1.–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union Territory administration: (a)(i) holding analogous post on a regular basis; or (ii) with five years regular service in pay level-6 (Rs. 35400-112400) rendered after appointment there to; and (b) possessing the following qualification and experience.- (i) Bachelors degree from a recognised university; and (ii) having two years experience in accounts,administration,establishment in a government office/	Group 'B' Departmental Promotional Committee for considering promotion (consisting of) .– 1. Advisor or Joint Secretary (in-charge of Botanical Survey of India) – Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Conservation and Survey), Ministry of Environment, Forest and Climate Change– Member; 3. Director, Botanical Survey of India – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	public sector undertakings /autonomous body or statutory body. **Note 1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of the applications. **Note 3.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists will not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F. No. 01/13/2022-CSB]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.11 21:26:37 +05'30'